

कार्यालय : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आईटीआई परिसर, अलीगंज, लखनऊ-226024

पत्रांक: 1927/उ.प्र.कौ.वि.मि/2022-23/पी.एण्ड.ए/का.आ./01 (Vol-IV)

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के पक्ष में प्रतिनिधानित वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के सम्बन्ध में।

राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.07.2023 में मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के पक्ष में प्रशासनिक/वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमाओं का निम्नवत् पुनरीक्षण किया गया है:-

- (i) प्रशिक्षण लागत के भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों में प्रति बैच रू. 10.00 लाख की सीमा को पुनरीक्षित करते हुए प्रति बैच रू. 25.00 लाख तक के भुगतान की स्वीकृति मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा की जायेगी।
- (ii) बैच की लागत उक्त की धनराशि से अधिक होने पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के स्तर से अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

उक्त आदेशों के फलस्वरूप राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 17.02.2020 में निर्धारित प्रति बैच रू. 10.00 लाख तक के भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धी मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन को प्रतिनिधानित प्रशासनिक/वित्तीय अधिकार यथोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आन्द्रा वामसी)

आई.ए.एस

मिशन निदेशक

पत्रांक: /उ.प्र.कौ.वि.मि/2022-23/पी.एण्ड.ए/का.आ./01 (Vol-IV), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
4. उप निदेशक, आई.टी. को पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)

आई.ए.एस

मिशन निदेशक

कार्यालय : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
राजकीय आईटीआई परिसर, अलीगंज, लखनऊ-226024

पत्रांक: /उ.प्र.कौ.वि.मि/2022-23/पी.एण्ड.ए/का.आ./01 (Vol-IV)
लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के पक्ष में प्रतिनिधानित वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के सम्बन्ध में।

राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.07.2023 में मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के पक्ष में प्रशासनिक/वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमाओं का निम्नवत् पुनरीक्षण किया गया है:-

- (i) प्रशिक्षण लागत के भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों में प्रति बैच रू. 10.00 लाख की सीमा को पुनरीक्षित करते हुए प्रति बैच रू. 25.00 लाख तक के भुगतान की स्वीकृति मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा की जायेगी।
- (ii) बैच की लागत उक्त की धनराशि से अधिक होने पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के स्तर से अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

उक्त आदेशों के फलस्वरूप राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 17.02.2020 में निर्धारित प्रति बैच रू. 10.00 लाख तक के भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धी मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन को प्रतिनिधानित प्रशासनिक/वित्तीय अधिकार यथोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक

पत्रांक: 1927/उ.प्र.कौ.वि.मि/2022-23/पी.एण्ड.ए/का.आ./01 (Vol-IV), तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
4. उप निदेशक, आई.टी. को पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक